संख्या 1625/कार्मिक–2/2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव
   उत्तरांचल शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
   उत्तरांचल
3. समस्त मण्डलायुक्त
   उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 08 जनवरी, 2003

विषयः राज्याधीन सेवाओं में राजपत्रित अधिकारियों की गोपनीय पंजिका में चेतावनी, निन्दा, भर्त्सना, असन्तोष आदि के रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय–समय पर राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के संबंध में यह प्रश्न उठाया जाता है कि कौन–कौन से अभिलेख वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में सम्मिलित किये जाय। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप लिये गये निर्णय के अनुसार जारी निन्दा (सेन्सर), चेतावनी (वार्निंग), असन्तोष (डिसप्लीजर) या भर्त्सना (रिप्रीमेन्ड) आदि से संबंधित पत्रों को अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखा जायेगा।

(2) शासन स्तर से जारी चेतावनी, असन्तोष या भर्त्सना संबंधी पत्रों को भी संबंधित अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखा जायेगा।

(3) अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु प्राधिकृत प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा दी गयी चेतावनी अधिकारी की चरित्र पंजिका पर केवल उस स्थिति में रखी जायेगी, जब वार्षिक प्रविष्टि अंकित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया जाय कि संबंधित अधिकारी को चेतावनी दी गयी थी। यदि किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को चेतावनी दी जाती है अथवा असन्तोष अथवा भर्त्सना सूचित की जाती है तो उसे उस अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा। वर्ष के अंत में प्रतिवेदक अधिकारी प्रविष्टि अंकित करते समय इस पर विचार करेगें और यदि उस अधिकारी में सुधार पाया जाता है तो उस चेतावनी अथवा असंन्तोष या भर्त्सना का उल्लेख प्रविष्टि में नहीं किया जायेगा। यदि सुधार नहीं पाया जाता है तब उस चेतावनी

अथवा असन्तोष या भर्त्सना को चरित्र पंजिका में रखते हुए वार्षिक प्रविष्टि में उसका उल्लेख किया जायेगा।

(4) शासन से भिन्न प्राधिकारियों जिसमें सांविधिक प्राधिकारी (कन्सटीट्यूशनल एथोरिटी) भी सम्मिलित हैं द्वारा जारी की गयी चेतावनी आदि को संबंधित अधिकारी की चरित्र पंजी पर रखने के संबंध में शासन द्वारा समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार कर यह निर्णय लिया जायेगा कि इसे चरित्र पंजी पर रखा जाय अथवा नहीं ।

(5) चरित्र पंजी पर उपरोक्तानुसार रखी गयी चेतावनी, भर्त्सना, असन्तोष आदि को प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में माना जायेगा और तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव।

संख्या 1625/कार्मिक–एक–2002 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव श्री राज्यपाल
2. सचिव, विधान सभा
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(आर. सी. लोहनी)
उप सचिव।